राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the

National Assessment and Accreditation Council

is pleased to declare

Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Chhattisgarh

Birkona, Dist. Bilaspur, Chhattisgarh as

Accredited

with CGPA of 3.28 on four point scale

at A+ grade

valid up to April 20, 2028

Date : April 21, 2023

S. C. [signature]

Director

EC(SC)/153/ 1st Cycle/CGUNGN106174

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Quality Profile

Name of the Institution **:** **Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Chhattisgarh**

Place **:** **Birkona, Dist. Bilaspur, Chhattisgarh**

Criteria	Weightage (W_i)	Criterion-wise Weighted Grade Point ($Cr\ WGP_i$)	Criterion-wise Grade Point Averages ($Cr\ WGP_i/W_i$)
I. Curricular Aspects	150	540	3.60
II. Teaching-Learning and Evaluation	250	826	3.30
III. Research, Innovations and Extension	200	479	2.40
IV. Infrastructure and Learning Resources	100	305	3.05
V. Learner Support and Progression	100	358	3.58
VI. Governance, Leadership & Management	100	367	3.67
VII. Institutional Values and Best Practices	100	400	4.00
Total	$\sum_{i=1}^{7} W_i = 1000$	$\sum_{i=1}^{7} (CrWGP_i) = 3275$	

$$\text{Institutional CGPA} = \frac{\sum_{i=1}^{7}(CrWGP_i)}{\sum_{i=1}^{7} W_i} = \frac{3275}{1000} = \boxed{3.28}$$

Grade = $\boxed{A^+}$

Date : April 21, 2023

Director

- This certification is valid for a period of *Five* years with effect from April 21, 2023
- An institutional CGPA on four point scale in the range of 3.51 - 4.00 denotes A^{++} grade, 3.26-3.50 denotes A^{+} grade, 3.01-3.25 denotes A grade, 2.76-3.00 denotes B^{++} grade, 2.51-2.75 denotes B^{+} grade, 2.01-2.50 denotes B grade, 1.51-2.00 denotes C grade
- Scores rounded off to the nearest integer

EC(SC)/153/ 1st Cycle/CGUNGN106174

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रा. मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O. No. 91-1/2023 (SU-1) **17th October, 2023 / 25 आश्विन, 1945** 17 OCT 2023

Subject: Categorization of the University under UGC [Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018.

Sir,

As you are aware, UGC is mandated to determine, promote, and maintain the standards of higher education in the country. UGC is constantly striving to create an enabling environment whereby higher education institutions in the country can become institutions of global excellence. UGC is also aware that global excellence can be achieved by extending autonomy to better-performing institutions for promoting and institutionalizing excellence in higher education.

In order to grant autonomy to the better-performing institutions, UGC has notified UGC [Categorization of Universities (only) for grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018 on 12th February 2018 in the Gazette of India.

Under the above Regulations, the proposal received from Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Bilaspur, Chhattisgarh has been examined, processed, and considered by the Commission in its 572nd meeting held on 20th September 2023. The Commission has decided to grade **Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Bilaspur, Chhattisgarh as Category-II University** as per the provisions of the above Regulations. The University shall now be eligible for all the benefits as stipulated under Regulation 5, i.e., Dimensions of Autonomy for Category-II Universities, of these Regulations.

However, the University shall inform the Commission about the benefits being implemented and its changed status, as applicable, in accordance with Regulation 6 of the UGC [Categorization of Universities (only) for grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018.

With regards,

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

Dr. Bansh Gopal Singh The Vice-
Chancellor
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Bilaspur
Chhattisgarh

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] विनियम, 2018

फा. सं. 1–8/2017(सी.पी.पी.–II).—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भूमिका

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(वि.अ.आ.)** उच्चतर शिक्षा संस्थानों **(एच.ई.आई.)** में उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण एवं संवर्धन करने तथा बनाये रखने के लिए अधिदेशित है।

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे परिवेश निर्माण करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है जिसके द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें।

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि स्वायत्तता उच्चतर शिक्षा में संस्थागत उत्कृष्टता तथा संवर्धन के लिए अत्यावश्यक है तथा विनियामक संगठन को उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता की दिशा में बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे संस्थानों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** की धारा **12** के खण्ड (ज) के साथ पठित धारा **26** की उपधारा **(1)** के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन**

1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, **2018** कहा जायेगा।

2. ये अधिनियम ऐसे सभी विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** की धारा **3** के अधीन स्थापित तथा मान्यता प्राप्त मानित विश्वविद्यालय हैं।

3. ये भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू किए जाएंगे।

2. परिभाषाएं :–

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "प्रत्यायन" का अभिप्राय मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसियों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन अथवा निर्धारण अथवा किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा कार्यक्रम में अपनाई गई पद्धति के परिणामस्वरुप उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया से है जो अकादमिक गुणवत्ता के बेंचमार्क मानदण्डों के अनुरुप हो।

(ख) "मूल्यांकन" का अभिप्राय वास्तविक अवसंरचना, मानव संसाधन (संकाय सहित) एवं प्रशासन पाठ्यक्रम, प्रवेश तथा छात्र मूल्यांकन प्रक्रिया तथा अकादमिक कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने से पूर्व अभिशासन संरचना के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थान **(एच.ई.आई)** की दक्षता की जाँच करने अथवा सुनिश्चित करने में निहित प्रक्रिया से है।

(ग) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

(घ) "सी.जी.पी.ए." का अभिप्राय संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत ग्रेडिंग पद्धति से है, जिसे एन.ए.ए.सी. अथवा प्रत्यायन प्रदान करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अधीन इससे संबंधित किसी अन्य निर्धारण तथा प्रत्यायन एजेंसी, (ए.ए.ए) द्वारा अपनाया जाता है।

(ङ) "राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद **(एन.ए.ए.सी)**" का अभिप्राय आयोग द्वारा देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए आयोग द्वारा स्थापित निकाय से है।

(च) "मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा" माध्यम का अभिप्राय शिक्षक तथा छात्रों के बीच दूरी की समस्या को दूर कर ज्ञानार्जन के लचीले अवसर प्रदान करने के माध्यम से है, जिसे वे विविध मीडिया प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, ऑन–लाइन तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान में यदा– कदा आमुख बैठक में चर्चा करके सीखते हैं अथवा शिक्षण–अधिगम अनुभव के साथ व्यवहारिक अथवा कार्य अनुभव प्राप्त करते हैं।

(छ) "टाइम्स उच्चतर शिक्षा/क्यू.एस. रैंकिंग" से अभिप्राय टाइम्स उच्चतर शिक्षा **(टी.एच.ई)** पत्रिका तथा क्वैक्वारैली साइमंडस् (क्यू.एस.**)** द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग के वार्षिक प्रकाशन से है।

(ज) "विश्वविद्यालय" का अभिप्राय केन्द्रीय, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन अथवा निगमित अथवा स्थापित विश्वविद्यालय तथा मानित विश्वविद्यालय संस्थान से है;

ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** में परिभाषित हैं तथा इन विनियमों के साथ सुसंगत नहीं हैं, उनका उस अधिनियम में उनसे निर्दिष्ट तदनुरूप अर्थ होगा।

3. ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु रूपरेखा :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय–समय पर विस्तृत दिशानिर्देशों के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अधिसूचित उप खंडों **(i)**, **(ii)** तथा **(iii)** में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी–**I**, श्रेणी–**II** तथा श्रेणी–**III** में श्रेणीबद्ध करेगा।

(i) **श्रेणी–I का विश्वविद्यालय :**

वह विश्वविद्यालय श्रेणी–**I** में होगा यदि

(क) उसे एन.ए.ए.सी. द्वारा **3.51** अथवा अधिक अंकों द्वारा प्रत्यायित किया गया हो; अथवा

(ख) उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा समान प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्राप्त किया है; अथवा

(ग) उसे टाइम्स हॉयर एजूकेशन अथवा क्यू.एस. की प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग के अधिकतम **500** में से रैंक दिया गया है।

(ii) **श्रेणी–II का विश्वविद्यालय :**

वह विश्वविद्यालय श्रेणी–**II** में होगा यदि

(क) उसे एन.ए.ए.सी. द्वारा **3.26** तथा अधिक तथा **3.50** तक के अंक से प्रत्यायित किया गया है; अथवा

(ख) उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा समान प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्राप्त किया है;

(iii) **श्रेणी–III का विश्वविद्यालय :**

कोई भी विश्वविद्यालय श्रेणी–**III** में आएगा यदि वह श्रेणी–**I** तथा श्रेणी–**II** के अधीन नहीं आता है।

4. श्रेणी–I विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता के आयाम :–

4.1 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** की धारा **12 ख** के अधीन स्वतः मान्यता प्राप्त होंगे तथा उसके लिए आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

4.2 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/केन्द्र आरंभ कर सकते हैं जो उनके वर्तमान अकादमिक नियमों के अंग हों, बशर्ते यदि नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/ केन्द्र को शुरु करने के लिए सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित नामों के अनुरूप होंगे। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उसके सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी प्रदान कर आरंभ किया जा सकता है :

बशर्ते सरकारी स्वामित्व वाले मानित विश्वविद्यालयों को स्व–वित्तपोषित नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल के लिए अनुदान प्राप्ति हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4.3 विश्वविद्यालय अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना संघटक इकाई/सुदूर कैम्पस केन्द्र खोल सकता है, बशर्ते कि वह आवर्ती तथा अनावर्ती राजस्व स्रोत की व्यवस्था कर सके तथा इसके लिए उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा न हो।

4.4 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय दक्षता योग्यता नियमों (नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना दक्षता कार्यक्रम शुरु कर सकते हैं, बशर्ते नये पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग न हो। उपाधि कार्यक्रमों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदित नामों के अनुरूप होने चाहिये। सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उन नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में आरंभ किए जा सकते हैं जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता से संबंधित हों, इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाए।

4.5 विश्वविद्यालय अनुसंधान पार्क, उद्भवन केन्द्र, विश्वविद्यालय समाज सम्बद्ध केन्द्रों स्व–वित्तपोषित माध्यम में अथवा स्वयं या निजी साझेदारी के साथ आयोग के अनुमोदन के बिना खोल सकते हैं। तथापि, उस संस्थान के संसाधनों के माध्यम से प्राप्त सभी चल और अचल सम्पत्ति के घटक पर विश्वविद्यालय का स्वामित्व रहेगा।

4.6 विश्वविद्यालय, भारत सरकार के नियम, विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग की अनुमति के बिना विदेशी संकाय को आमंत्रित कर सकता है, जिसने किसी ऐसी संस्था में अध्यापन किया हो जो विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग नियमों के अन्तर्गत शीर्ष **500** संस्थानों में आते हैं जैसे कि टॉइम्स उच्चतर शिक्षा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रैंकिंग के माध्यम से चुना गया हो। यह स्वीकृत संकाय की कुल संख्या से ऊपर **20** प्रतिशत तक हो सकती है। विश्वविद्यालय अपने शासी/सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार "आवधिक/संविदा" के आधार पर विदेशी संकाय को रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4.7 विश्वविद्यालय योग्यता के आधार पर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उनकी संख्या, अनुमोदित स्वदेशी छात्रों की संख्या के ऊपर **20** प्रतिशत से अधिक न हो। विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों से बिना किसी प्रतिबन्ध के शुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4.8 आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनपरक वेतन संरचना बनायेंगे जिसका भुगतान उन्हें आयोग अथवा सरकारी अनुदान के बजाय अपने राजस्व स्रोतों से करना होगा। यह प्रोत्साहन वेतन संरचना स्पष्टतः योग्यता आधारित, पारदर्शी तथा सार्वभौमिक न होकर उद्देश्यपरक होगी। इसका अनुमोदन संस्थान की सीनेट/सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद् जैसी सांविधिक निकायों के अतिरिक्त अकादमिक परिषद् तथा वित्त परिषद् से भी आवश्यकतानुसार लेना अनिवार्य होगा। सभी सांविधिक निकायों के अनुमोदन के **30** दिनों के भीतर इसकी सूचना आयोग को देनी होगी।

4.9 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति तथा अनुरक्षण) विनियम, **2016** के अनुसार टाइम्स उच्चतर शिक्षा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रैंकिंग के शीर्ष **500** विदेशी संस्थानों में से किसी संस्थान अथवा टाइम्स उच्चतर शिक्षा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रैंकिंग के शीर्ष **200** विधा विशेष से अकादमिक सहयोग के लिए आयोग के अनुमोदन के बिना सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

4.10 विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकता है, बशर्ते वह यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, **2017** के अनुसार निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करें।

4.11 विश्वविद्यालयों को धारा **3.3** के अधीन निर्धारित, यथासंशोधित नियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में संस्थापना तथा अनुरक्षण (रखरखाव) के मानक) विनियमों, **2003** के अनुसार अपने सुदूर कैम्पस अथवा अध्ययन केन्द्रों की वार्षिक निगरानी करने से छूट होगी, सिवाय उस स्थिति के जब न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करने अथवा अनियमितता एवं कदाचार के पर्याप्त सबूत उपलब्ध हों।

4.12 यदि आयोग किसी विधान अथवा कार्यकारी आदेश के अनुसार बाह्य समीक्षा चाहता है तो संस्थान द्वारा निर्धारित समीक्षा प्रारूप में रिपोर्ट भेजना पर्याप्त होगा।

5. श्रेणी–II विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए आयाम :–

5.1 सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/केन्द्र आरंभ कर सकते हैं जो उनके वर्तमान अकादमिक नियमों के अंग हों, बशर्ते यदि नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/ केन्द्र को शुरू करने के लिए सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित नामों के अनुरूप होंगे। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उसके सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी प्रदान कर आरंभ किया जा सकता है :

बशर्ते सरकारी स्वामित्व वाले मानित विश्वविद्यालयों को स्व–वित्तपोषित नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल के लिए अनुदान प्राप्ति हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5.2 मानित विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सुदूर कैम्पस केन्द्रों को शुरू करने की अनुमति प्रदान करते समय आयोग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यह छूट प्रत्येक पाँच वर्षों में दो सुदूर कैम्पस केन्द्र खोलने की शर्त के अध्यधीन होगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय) विनियम, **2016** तथा समय–समय पर संशोधनों, यदि कोई हों, में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

5.3 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय दक्षता योग्यता नियमों (नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना दक्षता कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, बशर्ते नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग न हो। उपाधि कार्यक्रमों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदित नामों के अनुरूप होने चाहिये। सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उन नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में आरंभ किए जा सकते हैं जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता से संबंधित हों, इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाए।

5.4 विश्वविद्यालय, भारत सरकार के नियम, विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग की अनुमति के बिना विदेशी संकाय को आमंत्रित कर सकता है, जिसने किसी ऐसी संस्था में अध्यापन किया हो जो विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग नियमों के अन्तर्गत शीर्ष **500** संस्थानों में आते हैं जैसे कि टॉइम्स उच्चतर शिक्षा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रैंकिंग के माध्यम से चुना गया हो। यह स्वीकृत संकाय की कुल संख्या से ऊपर **20** प्रतिशत तक हो सकती है। विश्वविद्यालय अपने शासी/सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार "आवधिक/संविदा" के आधार पर विदेशी संकाय को रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5.5 आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनपरक वेतन संरचना बनायेंगे जिसका भुगतान उन्हें आयोग अथवा सरकारी अनुदान के बजाय अपने राजस्व स्रोतों से करना होगा। यह प्रोत्साहन वेतन संरचना स्पष्टतः योग्यता आधारित, पारदर्शी तथा सार्वभौमिक न होकर उद्देश्यपरक होगी। इसका अनुमोदन संस्थान की सीनेट/सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद् जैसी सांविधिक निकायों के अतिरिक्त अकादमिक परिषद् तथा वित्त परिषद् से भी आवश्यकतानुसार लेना अनिवार्य होगा। सभी सांविधिक निकायों के अनुमोदन के **30** दिनों के भीतर इसकी सूचना आयोग को देनी होगी।

5.6 विश्वविद्यालय योग्यता के आधार पर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उनकी संख्या, अनुमोदित स्वदेशी छात्रों की संख्या के ऊपर **20** प्रतिशत से अधिक न हो। विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों से बिना किसी प्रतिबन्ध के शुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5.7 विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन के बाद मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकता है, बशर्ते वह यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, **2017** के अनुसार निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करें।

5.8 यदि किसी विधान अथवा कार्यकारी आदेश के अधीन आयोग द्वारा किसी बाह्य समीक्षा की आवश्यकता हो, तो समीक्षा स्वयं संस्था द्वारा बाह्य समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से कराई जा सकती है, जिसमें समकक्ष समूह के सदस्य श्रेणी–**I** के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों में से संस्थान द्वारा स्वयं चुने जायेंगे तथा समीक्षा रिपोर्ट समीक्षा पूरी करने के बाद आयोग को भेज दी जायेगी।

6. उप–खंड 3 में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंक अथवा रैंकिंग का रखरखाव न करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों का श्रेणी परिवर्तन

6.1 श्रेणी–**I** तथा श्रेणी–**II** के अधीन विश्वविद्यालय अपनी संबंधित श्रेणियों में तब तक बने रहेंगे जब तक वे उस श्रेणी के लिए उप–खंड **3** में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग, जैसा भी मामला हो, से संबंधित आवश्यक मानदण्डों को पूरा करते हैं।

6.2 विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक होगा कि अपने परिवर्तित दर्जे के विषय में **30** दिनों के भीतर आयोग को सूचित करे।

6.3 यदि विश्वविद्यालय एक श्रेणी में स्तर को बनाये रखने में असफल रहता है और उससे निम्न श्रेणी में चला जाता है तो परिवर्तित तिथि से पूर्व श्रेणी की सुविधाओं का हकदार नहीं होगा :

बशर्ते पूर्व में उच्चतर स्तर के साथ संबद्ध सुविधाओं से जुड़े विशेषाधिकार के तहत की गई किसी भी प्रकार की पहल को जारी रहने की अनुमति होगी जब तक उनकी अनुमोदित अवधि/तर्कपूर्ण समापन नहीं हो जाता है, बशर्ते कि प्रारम्भ किए गए क्रियाकलाप/आरंभ की गई कार्रवाई के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पहले ही सूचित कर दिया गया गया हो :

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसा विश्वविद्यालय अपना पूर्व उच्चतर स्तर पुनः प्राप्त कर लेता है, तो उस उच्चतर श्रेणी की सुविधाओं को दर्जे में परिवर्तन होने की तिथि से पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

7. विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण की प्रक्रिया :

7.1 आयोग द्वारा निर्धारित तिथि (वर्ष में कम से कम दो बार, संभवतः **1** जून तथा **1** दिसंबर) के दौरान संस्थान इन विनियमों के अधीन श्रेणीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित तिथि की अधिसूचना छह माह पूर्व जारी की जायेगी।